



केन्द्रीय विद्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर (द्वितीय पाली)
Kendriya Vidyalaya Banaras Hindu University Campus (Second Shift)
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
An Autonomous body Under Ministry of Education, Govt. of India
जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिन-221005
Dist. - Varanasi, Uttar Pradesh, Pin-221005
ई-मेल पता : kvbhussvaranasi@gmail.com वेबसाइट : http://bhuvanasi.kvs.ac.in
CBSE Affiliation No. : 2100031, CBSE School No. : 74119, Tel. : 0542-2985804
Region code: 30, Station code: 475, KV Code: 1850

फा.क्र.43051/2023-24/के.वि.का.हिं.वि.वि.प.(द्वि.पा.)/ICC/272-243

दिनांक: 20.10.2023


कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) नई दिल्ली के परिपत्र 11-55/2000-KVS(Vig.)Pt.11212-25 दिनांकित 05.03.2019 एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन (क्षे.का.) वाराणसी के कार्यालय आदेश F.N.43051/2023-2024/के.वि.सं.(क्षे.का.)वाराणसी/2544-89, दिनांकित 05.09.2023 के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय विद्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (प्रथम/द्वितीय पाली), वाराणसी पूर्व में गठित आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) (ICC) के सदस्य के इस संभाग से स्थानान्तरण होने के कारण पूर्व आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की परिशोधित कमेटी का गठन किया जाता है: -

क्र.सं.	नामावली	नामित अधिकारी/ सदस्य का नाम	पद	क्षेत्राधिकार
1.	पीठासीन अधिकारी	डॉ. शालिनी दीक्षित	सहायक आयुक्त, के.वि.सं., क्षे.का. वाराणसी	विद्यालय में (प्राचार्य, उप-प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक को छोड़कर) विद्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना।
2.	एन.जी.ओ. सदस्य	श्रीमती जयंती सामंत	इनर विल क्लब, वाराणसी	
3.	सदस्य	श्रीमती विंदावती देवी एवं श्री सुशील कुमार	स्नाको.शि. (अंग्रेजी)/ प्रधानाध्यापक के.वि.का.हि.वि.वि.प.(प्र.पा.)	
4.	सदस्य	श्री अनिल कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती शबाना हुसैन	स्नाको.शि.(हिंदी)/ प्रा.शि., के.वि.का.हि.वि.वि.प.(द्वि.पा.)	
5.	सदस्य, वि.प्र.समिति	श्री मुकुल राज मेहता	प्रख्यात शिक्षाविद्	

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को अब उपरोक्त समिति को भेजा जाएगा तथा समिति शिकायत प्राप्ति के 10 कार्य दिवसों के भीतर (यदि कोई हो) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। यदि प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण उक्त समिति में कोई परिवर्तन होता है तो तदनुसार परिवर्तनों को शामिल कर सूचित किया जाएगा।

आलोक: उक्त तालिका कि बिंदु संख्या 3 में वर्णित शिक्षक सदस्य के.वि.का.हि.वि.वि.प.(प्र.पा.) एवं बिंदु संख्या 4 में वर्णित शिक्षक सदस्य के.वि.का.हि.वि.वि.प.(द्वि.पा.) के सापेक्ष उक्त समिति के सदस्य है।


20/10/2023
(डॉ. दिवाकर सिंह)
प्राचार्य

वितरण:

1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य
2. उपायुक्त, के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी
3. समस्त प्राचार्य, अंतर्गत के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी
4. गार्ड फाइल